

रिपोर्ट पटवारी हल्ला/आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाना जायेगा जिसके अनुसार

गुढागौडजी

ग्राम गुढागौडजी में संकटन ले प्रमाता पुत्र जगुराम गलत दर्ज हो
गया विलम्बे स्थान पर प्रमाता पुत्र जगुराम किया जाना उचित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्णय है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किने जमी की अभिराया की जाती है /
की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुसुर (राज.)
आदेश :-

दिनांक :- 20/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुढागौडजी	2028-78	1213	प्रमाता पुत्र जगुराम	प्रमाता पुत्र जगुराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 20/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/263-04
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner